न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमानंम्बरः– 13/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
वीराराम पुत्र जगाराम जाति मेघवाल निवासी इसरोल तहसील चितलवाना जिला सांचौर		1 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना 2 हल्का पटवारी पटवार मण्डल काछेला तहसील चितलवाना जिला सांचौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955

उपस्थितः:–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालौत।
2. अप्रार्थीगण की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 11/01/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा इसरोल पटवार हल्का काछेला के खसरा संख्या 524 रकबा 1.72 हैक्टर व खसरा संख्या 1173/520 रकबा 0.47 हैक्टर जुमले रकबा 2.19 हैक्टर की भूमि खातेदारी व कब्जे काश्त का आयी हुई है। उक्त खेत मे आने जाने के लिये आवागमन का रास्ता राजस्व रेकर्ड मे नही है। किन्तु आवागमन का रास्ता सुखाचार के रूप से कदीमी से चलता आ रहा है। जो नक्शा प्रदर्श 'अ' मे वर्णित मार्क 'ए' टू 'बी' वर्तमान मे रास्ता चल रहा है। जो राजस्व रेकर्ड मे कटाण रास्ता दर्द नही है। किन्तु प्रार्थी के उक्त खेत मे पहुचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की राजकीय बारानी प्रथम की भूमि खसरा संख्या 529 रकबा 0.24 हैक्टर व खसरा संख्या 528 रकबा 2.79 हैक्टर मे से चलता है। जो राजकीय कटाण रासता खसरा संख्या 355 से अप्रार्थी संख्या 1 के सरकारी भूमि खसरा संख्या 529 रकबा 0.24 हैक्टर मे से 40 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा यानि 0.016 हैक्टर व खसरा संख्या 528 मे से 240 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा यानि 0.096 हैक्टर सेढे सेढे होकर प्रदर्श नक्शा 'अ' मे वर्णित मार्क ए टू बी अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 524 मे जाता है जो वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। यह रास्ता पारस्परिक सहमति से तय नही होता है। किन्तु उक्त रास्ता की प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता होने से राजस्व अभिलेख मे रास्ता सुविधाधिकार भूमि अभिलिखित की जावे तथा यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी की सुविधा के लिए रही है तथा इसके अलावा अन्य कोई रासता की भूमि कदम राजस्व अभिलेख से खेत व ढाणी तक पहुचने के लिए निकटतम रूट का रास्ता नही है जिसे राजस्व रेकर्ड अभिलेख मे अभिलिखित की जावे। मौके पर रास्ता चालू है तथा प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने के लिए तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:01:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम इसरोल पटवार हल्का काछेला तहसील चितलवानना के खसरा संख्या 524 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा संख्या 1173/520 रकबा 0.47 हैक्टर मे आवागमन करने हतु खसरा संख्या 529 रकबा 0.24 हैक्टर मे से 160 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 528 रकबा 2.79 हैक्टर मे से 960 वर्गमीटर रास्ता के संबंध में नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ता ए बी सी मीटरो मे दर्शाया गया है दोनो खसरान 528, 529 मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नही है चाहे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा खेत मे जाने हेतु निकटतम रास्ता मौजुद नही है। प्रस्तावित पर वर्तमान मे आवागमन चालू है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 524 रकबा 1.72 हैक्टर व खसरा संख्या 1173/520 रकबा 0.47 हैक्टर जुमले रकबा 2.19 हैक्टर भमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खेत खसरा संख्या 529 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा संख्या 528 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि किस्म बारानी प्रथम राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जिसमें में प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ते की आव यकता है दोनो खसरान 528, 529 मौके पर खाली है तथा किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नही है चाहे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा खेत मे जाने हेतु निकटतम रास्ता मौजुद नही है। प्रस्तावित पर वर्तमान मे आवागमन चालू है। जो मौका जांच रिपोर्ट से स्पश्ट है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम इसरोल पटवार हल्का काछेला के खसरा संख्या 529 रकबा 0.24 हैक्टर मे से 0.016 हैक्टर तथा खसरा संख्या 528 रकबा 2.79 हैक्टर मे से 0.096 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु संख्या 'ए' से 'सी' अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ट करने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित मानते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ता भूमि के प्रार्थी को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेगें। तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, पक्षकार अपना [illegible] खर्चा वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:01:01 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना